राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांकः राम/प–2/1/7/रातस/एपीओ/2021/9125 दिनांकः– 16/6/22

:: आदेश ::

राजस्व मण्डल के आदेश क्रमांक राम/प–2/1/7/रातस/2021/122 दिनांक 8.01.21 के द्वारा श्री केसर सिंह चौहान तहसीलदार गढ़ी जिला बांसवाडा का स्थानान्तरण/पदस्थापन तहसीलदार खण्डार जिला सवाईमाधोपुर के पद पर किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध श्री केसर सिंह चौहान द्वारा मा. राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में एस.बी. सिविल रिट पीटीशन संख्या 893/2021 केसर सिंह चौहान बनाम सरकार दायर की गयी ।

उक्त याचिका में मा. राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने आदेश दिनांक 15.01.2021 पारित कर राजस्व मण्डल के स्थानान्तरण आदेश 08.01.2021 के प्रभाव एवं क्रियान्वन को याचिकाकर्ता के सम्बंध में स्थगित किया है।

अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.01.2021 की पालना में राजस्व मण्डल के आदेश क्रमांक 122 दिनांक 08.01.2021 के द्वारा श्री केसर सिंह चौहान, तहसीलदार गढ़ी जिला बांसवाडा का तहसीलदार खण्डार जिला सवाईमाधोपुर के पद पर किया गया स्थानान्तरण/पदस्थापन निरस्त कर इन्हें यथावत तहसीलदार गढ़ी जिला बांसवाडा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

आदेशानुसार,
16/6/22
(महावीर प्रसाद)
निबन्धक
राजस्व मण्डल राज., अजमेर

क्रमांकः सम/9126-9138 दिनांकः–16/6/22

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल राज. अजमेर।
2. संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–1) विभाग ,शासन सचिवालय राज. जयपुर ।
3. संभागीय आयुक्त भरतपुर/उदयपुर।
4. जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर /बांसवाडा।
5. प्रभारी अधिकारी (रिट) राजस्व मण्डल को मय न्यायालय के आदेश की प्रति के अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
6. प्रभारी अधिकारी (गोपनीय/जांच/कम्प्यूटर) राजस्व मण्डल राज. अजमेर।
7. सम्बंधित श्री .... ।
8. आदेश पंजिका / निजी पत्रावली।

(दीप्ति शर्मा)
अतिरिक्त निबन्धक (रातस)
राजस्व मण्डल राज., अजमेर

Scanned with CamScanner